

438
1-50
5:88

FORM NO. III

(C)


फर्द अहकाम

2023/105

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ मुकाम
कहकड़ दुर्जन बनाम फकीर मोहम्मद
किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 128 सन् 74/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही का इतिहास जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/5/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>बोडा की आ.न. 2386 रकबा 0.3800 है 2406 रकबा 1.48 है.</u> <u>ग्राम 2407 रकबा 0.02 है. आ.न. 372 रकबा 1.00 है. 645 रकबा 1.19 है.</u> <u>आ.न. कुल रकबा 0.05 रकबा 4.38 है. व सुधारिया कोडा की आ.न. 128, 169,</u> <u>170, 171, 172 = 5.095 1.50 है.</u> विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे। प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये <u>5000/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी

